पुस्तकालय

(2)
3019
31/7/09

सत्यमेव जयते

असंशोधित

20 JUL 2009

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग I—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं० 863 तिथि 29-7-09

चतुर्दश विधान-सभा

---

२० जुलाई,२००९ ई०

मंगलवार,तिथि: ----------

द्वादश सत्र

२९ आषाढ़, १९३१ (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-११.०० बजे पूर्वा०)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण,अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या- ५४</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव (मंत्री): १-उत्तर अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पति अथवा संबंधियों द्वारा घरेलु हिंसा के मामले में बिहार का १३वां स्थान है।

२- अस्वीकारात्मक है।

३-राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल प्रतिवेदित महिला अपराध से संबंधित मामलों में भागीदारी के लिहाज से बिहार का १०वां स्थान है। पति एवं संबंधियों द्वारा प्रताड़ना के मामले में बिहार की भागीदारी २ प्रतिशत है।

४- घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु राज्य स्तर पर अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन महिला अपराध कोषांग कार्यरत है। यह कोषांग दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच, आवश्यकतानुसार दर्ज कांडों का अनुसंधान भी करता है, इसके अतिरिक्त जिला पुलिस द्वारा जिन कांडों का अनुसंधान किया जाता है, उसका अनुश्रवण भी अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा किया जाता है। अनुसंधान में दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन भी दिया जाता है। इस कोषांग के अतिरिक्त पटना जिला में एक महिला कोषांग का गठन किया गया है। प्रत्येक जिला के पुलिस अधीक्षक,रेलवे सहित को महिला पुलिस अवर निरीक्षक के नेतृत्व में महिला कोषांग के गठन के लिए निर्देश भी दिया गया है।

श्री रामदेव वर्माः अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री महोदय ने कबूल किया है कि घरेलू हिसा के मामले में राज्य का १०वां स्थान है और खंड-१ के उत्तर में भी उन्होंने कबूल किया कि सारे राज्यों से बिहार आगे है, इस हालात में इन्होंने बतलाया कि घरेलू हिसा को रोकने के लिए सरकार ने महिला कोषांग गठित की है और उसके तहत जांच हो रहा है, कार्रवाई हो रही है और नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इतना ही चाहूंगा कि क्या गत पांच वर्षों के अन्तर्गत महिला कोषांग के तहत प्रति वर्ष कितनी महिला घरेलू हिंसा का शिकायत मिली और कितने का निष्पादन किया गया, प्रगति क्या है?

तारांकित प्रश्न संख्या : १२३०

श्री विजेन्द्र प्र०यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड :१ उत्तर स्वीकारात्मक है ।

प्रश्नाधीन अधिनियिम और नियमावली कल्याण विभाग,बिहार,पटना द्वारा निर्मित है ।

खंड २ : प्रश्नाधीन नियमावली के नियम १० के तहत विशेष कार्य पदाधिकारी का कार्य करने हेतु संबंधित जिलों में पदस्थापित अपर समाहर्त्ता को विभागीय अधिसूचना संख्या ४० दिनांक ०२.०१.२००७ प्राधिकृत किया जा चुका है ।

खंड ३ : उपर्युक्त कंडिका २ के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है ।

मतलब महोदय, सभी ए०डी०एम० को नोटिफिकेशन करके उनको अधिकृत कर दिया गया है इस काम को करने के लिये ।

...

तारांकित प्रश्न संख्या : १२३१

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

...

तारांकित प्रश्न संख्या : १२३२

श्री विजेन्द्र प्र०यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड १ : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि एक परिवाद पत्र के आलोक में पी०एम०सी०एच०,पटना में वर्ष २००७-०८ एवं २००८-०९ में दवा क्रय से संबंधित मामलों की जांच निगरानी अन्वेषण व्यूरो द्वारा की जा रही है । मामला अभी जांचाधीन है ।

खंड २ : उपर्युक्त खंड १ के प्रश्नोत्तर से स्पष्ट है कि मामला अभी जांचाधीन है ।

खंड ३ : उपर्युक्त खंड के प्रश्नोत्तर के आलोक में इस का प्रश्न संप्रति नही उठता है ।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, खंड : २ का उत्तर सदन को है । सदन यह जानने का हक रखती है इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो दवायें मंहगी थी, जो खरीदी गयी पी०एम०सी०एच० के तहत उस वक्त का थोक भाव क्या था और उसी अनुपात में थोक भाव से ऊंचे दर पर खरीदी गयी या नहीं ?

श्री विजेन्द्र प्र०यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा कि जब निगरानी अन्वेषण व्यूरो देख रहा है,सारे मामले, आरोप में यही है जो दर था उससे अधिक, मैंने कहा । अब देखिये महोदय, २६.०३ को एक आवेदन मिला, गृह विभाग को और

उसने निगरानी अन्वेषण व्यूरो को दे दिया है, निगरानी अन्वेषण व्यूरो ने ३०.०३.०९ को आदेश दिया है,जांच चल रही है, तीन चार महीने हुये हैं, जांच के फलाफल तक माननीय सदस्य को इंतजार करना चाहिए । क्या सच है,क्या झूठ है, आरोप की जांच चल रही है, जांच के क्रम में अब ये कितने का है, क्या है, तो जब जांच ही चल रही है निगरानी अन्वेषण व्यूरो के द्वारा तो मामला साफ साफ आ जायेग ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । माननीय सदस्य के इस प्रश्न को भी उसमें ऐड करा दीजियेगा ।

..

तारांकित प्रश्न संख्या : १२३३

श्री सुशील कुमार मोदी,उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड १ : अंशतः स्वीकारात्मक है ।

खंड २ : स्वीकारात्मक है ।

खंड ३ : स्वीकारात्मक है ।

खंड ४ : निजी सहायक संवर्ग में विभिन्न स्त्रोतो से यथा मर्जर उत्क्रमण एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आदि से आये कर्मियों को ए०सी०पी० की स्वीकृति में विसंगति उत्पन्न हो रही है, ए०सी०पी० नियमावली के संगत प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा मामले की संपरीक्षा की जा रही है ।

डा०अच्युतानन्द : अध्यक्ष महोदय, १६ माह पहले मर्जर से आये सहायक को ए०सी०पी० का लाभ मिल रहा था तो क्या यह बात सही है कि २००४ में वित्तायुक्त द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में उत्क्रमण सवालिया से आये अन्य संवर्गो के कर्मियों की भांति कार्मिक विभाग द्वारा निजी सहायक को ए०सी०पी० के नियम ३ (१) के तहत ए० सी० पी० लाभ दिया जाता था। क्या यह बात सही है कि पुनः वित्त विभाग द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या १८०२ दिनांक २३.०३.२००६ के आलोक में वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार उक्त ए० सी० पी० में संशोधन करने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा आदेश संख्या ३११ दिनांक ९.०८.२००७ निर्गत किया गया था तो जब ए० सी० पी० का लाभ मिल रहा था, एक फर्जी संस्था द्वारा आरोपित होने के बाद वित्त सचिव ने लाभ रोक दिया तो क्या आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहताहूं कि उन को लाभ कब तक दिया जायेगा ?

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि विसंगति उत्पन्न हुई जो लोग मर्जर से आये, जो आशुटंकक थे, उन का जब आशुलिपिक में मर्जर हो गया और जब एसी००पी० देने की स्थिति आयी तब स्थिति यह पैदा हो गयी कि जो नीचे वाले लोग थे, उन को ए० सी० पी० पहले मिल रहा था, ऐसी बहुत सारी विसंगति उत्पन्न हो गयी, सरकार उस के समाधान के लिये प्रयत्नशील है और अगले तीन महीने में इस का समाधान कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : तीन महीने में ।

....